

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

215-2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018 (PAUSA 5, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th December, 2018

No.41-HLA of 2018/73/27065.— The State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 41- HLA of 2018.

STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK (AMENDMENT) BILL, 2018

. .

BILL

Further to amend State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Short title. Act, 2018.
- **2.** In the long title of State University of Performing and Visual Arts, Rohtak Act, 2014 (hereinafter called the principal Act), for the words and sign "STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK", the words and sign "PANDIT LAKHMI CHAND STATE UNIVERSITY OF PERFORMING AND VISUAL ARTS, ROHTAK" shall be substituted.
- 3. In the short title of the principal Act, for the words and sign "State University of Performing and Visual Arts, Rohtak", the words and sign "Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak" shall be substituted.
- **4.** In clause (m) of section 2 of the principal Act, for the words and sign "State University of Performing and Visual Arts, Rohtak", the words and sign "Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak" shall be substituted.
- **5.** In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words and sign "State University of Performing and Visual Arts, Rohtak", the words and sign "Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak" shall be substituted.

Amendment of long title of Haryana Act 24 of 2014

Amendment of short title of Haryana Act 25 of 2014

Amendment of section 2 of Haryana Act 24 of 2014.

Amendment of section 3 of Haryana Act 24 of 2014.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

State University of Performing and Visual Arts, Rohtak was established by an Act of Legislature of State of Haryana (Act 24 of 2014) by upgrading the integrated campus of Government Technical Institution(s) Societies, Rohtak, comprising of four institutes namely State institute of Fine Arts, State Institute of Design, State Institute of Film and Television and State Institute of Urban Planning and Architecture into a leading University to facilitate and promote studies and research in emerging areas of Higher Education with focus on new frontiers of design, Fine Arts, Film & Television, Urban Planning and Architecture and also to achieve excellence in these and connected fields. These four institutions were affiliated with the MDU University, Rohtak and started in the year 2011 with annual intake of 240 students. The State Govt. has provided 35.97 Acres of land for the construction of Teaching and Admin block, hostels, Guest house, Staff residencies etc. and was providing 100% Grant-in-Aid to these institutions.

The State University of Performing and Visual Arts, Rohtak is located in the heart of the Rohtak city and falls in the National Capital Region (NCR). The University is emerging as one of the leading University of the Country in the Performing & Visual Arts and in the field of Mass Media. Now, the Govt. has taken the decision to change the name of the University with the name of Indian poet of Haryanvi language, who was honored posthumously as Surya Kavi by the State Govt. and has decided to rename it as "Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts. Rohtak".

In view of above, it has been decided that the name of the University be amended from "State University of Performing and Visual Arts, Rohtak" to "Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak".

RAM BILAS SHARMA, Technical Education Minister, Haryana.

Chandigarh: The 26th December, 2018.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2018 का विधेयक संख्या 41-एच0एल0ए0

राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2018

राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014,

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

यह अधिनियम राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) अधिनियम, 2018, संक्षिप्त नाम। कहा जा सकता है।

> 2014 का हरियाणा अधिनियम 24 के वृहत् नाम का संशोधन।

- राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् नाम में, "राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक" शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, "राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक" शब्दों 2014 का हरियाणा अधिनियम 24 के तथा चिह्न के स्थान पर, ''पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्द संक्षिप्त नाम का संशोधन।
- मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में, "राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्द तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- 2014 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन।
- मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2014 का हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 3 का संशोधन ।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक की स्थापना सरकारी तकनीकी संस्थान (एस) सोसाइटीज, रोहतक के एकीकृत परिसर को अपग्रेड करके हरियाणा राज्य विधानसभा (2014 के अधिनियम 24) के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसमें चार संस्थान शामिल थे, अर्थात् राज्य संस्थान फाइन आर्ट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन और शहरी योजना और वास्तुकला राज्य संस्थान, एक अग्रणी विश्वविद्यालय में डिजाइन और ललित कला के नए सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और बढावा देने के लिए, फिल्म और टेलीविजन, शहरी नियोजन और वास्तुकला और इन और जुड़े क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी। ये चार संस्थान एमडीयू विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्ध थे और 240 छात्रों के वार्षिक सेवन के साथ वर्ष 2011 में शुरू हुए थे। राज्य सरकार ने शिक्षण और प्रशासन ब्लॉक, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, स्टाफ रेजीडेंसी इत्यादि के निर्माण के लिए 35.97 एकड़ भूमि प्रदान की है और इन संस्थानों को 100% अनुदान-सहायता प्रदान कर रही है। "स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक रोहतक शहर के केंद्र में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पडता है। विश्वविद्यालय प्रदर्शन और दृश्य कला में और मास मीडिया के क्षेत्र में देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में से एक के रूप में उभर रहा है। अब, सरकार ने हरियाणावी भाषा के भारतीय कवि के नाम से विश्वविद्यालय का नाम बदलने का फैसला लिया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मरणोपरांत सूर्य कवी के रूप में सम्मानित किया गया था। और इसे ''पंडित लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक'' के रूप में नामित करने का फैसला किया है।'' उपरोक्त को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय का नाम "प्रदर्शन विश्वविद्यालय और प्रदर्शन कला राज्य, रोहतक" से "पंडित लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विज्अल आर्ट्स, रोहतक'' में संशोधित किया जाएगा।

	राम बिलास शर्मा, तकनीकि शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।
	 2000
वण्डीगढ़ :	आर0 के0 नांदल,
देनांक 26 दिसम्बर, 2018.	सचिव।

8491—H.V.S.—H.G.P., Pkl.